

मह टिका दश टिका दस रुपिया कट्टु रमळ्ळु १०५ ५५५ ५५ दहा रुपये १०५ ५५५ ५५ दश रूपये कट्टु रमळ्ळु १०५ ५५५ ५५ दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य

NOT NEGOTIABLE

करने वाले



भारतीय पोस्टल आर्डर INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO अुगतान स्वर्ग लोकाधिकारी (राजिनालय)

श्री. कु. स्वर्ग राजाजी मन्सालय
नई दिल्ली

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY



सत्यमेव जयते



डाक टिकट

POSTAGE STAMPS

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

हरिदेव पुत्र भगवान कास
जाटि कौली
५० पैको देवी इगा डिस्ट्रीक्ट
लाल बजार चौकपुर (राज)
328001

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

35F 883644

पत्रक क्रमांक ३६ ०५०००५०

११११

पूरी रकम वसूल पायी
RECEIVED the full amount

पानेवाले के हस्ताक्षर PAYEE'S SIGNATURE

भारतीय डाकघर नियमावली के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी
ISSUED SUBJECT TO THE RULES AND CONDITIONS IN THE IPO RULES.

वैधता - जारी करने के महीने के अंतिम दिन से 24 महीने और द्वितीय कमिशन के भुगतान जारी करने के महीने की अंतिम दिन से 36 महीने।
Validity - 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

प्र.मु.है./S.P.P.HYD

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

प्रारूप 'क'

(धारा-6(1) देखिये)

सूचना चाहने के लिए आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

श्रीमान मुख्य अभियंता (P-6)

सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय (भारत सरकार)
नई दिल्ली

1. आवेदक का पूरा नाम : हरिदेव पुत्र भगवानदास जारि कोली
2. पता : ५० वेणोदेवी इंग दिल्ली न्यूटर्न
लाल बाजार
चौलपुर (राजस्थान) 328001
3. सूचना की विशिष्टियाँ : भटोदय,
अ. उस विभाग/कार्यालय का नाम : भारतीय न्यायिक प्रशासन-353/3 गांधीनगर क्षेत्र राजस्थान
पुरानी डाकघर तहसील व जिला चौलपुर (राजस्थान) में स्थित है
ब. सूचना की प्रकृति : खियाला मुकदमे जिसका मुआवजा DLCC दर का अनुमान राशि
स. सूचना के पूर्ण ब्यौरे : अ.मि. अवाप्त अधिकारी (S.D.O.) सा. चौलपुर द्वारा गई-16 के
प्रथम सफाई में लेंके खाने के जरिये दिया गया।
इस खाते निम्न सूचना चाहिए-
1. क्या मुझे मुआवजा राशि अवाप्त भूमि का DLCC दर
का अनुमान दर से देय है? अथवा नहीं, यदि हां तो
अन्तर राशि का अनुमान कितना होगा
2. यदि नहीं तो क्यों?
3. मुआवजा राशि अनुमान में कितना होने पर अन्तर
राशि 12% वार्षिक दर से देय है/ उक्त अन्तर की
गणना चक्रवर्ती दर से की जावेगी अथवा साधारण ब्याज है?
4. अपीलीय अधिकारी का नाम व पता बताया जाये।
4. क्या फीस के संदाय का सबूत संलग्न कर दिया है : P.O. No. 35 F 083644 को 10/- हस्तक का संलग्न है।

मैं यह और कथन करता हूँ कि चाही गई सूचना, अधिनियम 2005 की धारा-8 में अन्तर्विष्ट निर्वहन के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

स्थान चौलपुर

हरिदेव

दिनांक 07-04-17 समय 2.30 P.m.

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्न - P.O. Rs 10/-

*Scanned by
SCT P-61 Mr. A.K. Pandey
2017
S/R*

